-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **प्रवर्तन अधिकारियों (खनिज, परिवहन, राजस्व, सेलटैक्स, पुलिस आदि) की लोकेशन देकर अवैध खनन एवं परिवहन में ओवरलोड ट्रकों को कार्यवाही से बचाते हुए सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना मटौंध पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 79 हजार रुपए नकद, 02 मोबाइल फोन एवं एक मोटरसाइकिल बरामद ।**

विवरण- उ0प्र0 शासन मां0 मुख्यमंत्री श्री योगी की जीरो टॉलरेन्स की नीति के क्रम में जनपद में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए थाना मटौंध पुलिस द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन में सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारियों (खनिज, राजस्व, सेलटैक्स, पुलिस आदि) की लोकेशन देकर ओवरलोड ट्रकों को कार्यवाही से बचाकर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने तथा अवैध मोरम एवं गिट्टी से लदे वाहनों को पार कराने का दबाव बनाते हुए वाद विवाद करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि गिट्टी, बालू एवं मौरंग से लदे वाहनों का जनपद बांदा से होकर अन्य जनपदों एवं राज्यों में निरंतर आवागमन होता है। जिसमें ओवरलोड, अवैध तथा बिना प्रपत्रों के वाहनों को जनपद बांदा के विभिन्न थाना क्षेत्रों की सीमा से सुरक्षित रूप से पार कराने हेतु थाना मटौंध क्षेत्र के ग्राम बसहरी के रहने वाले प्रेम नारायण व प्रमोद कुमार द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों (खनिज, परिवहन, राजस्व, सेलटैक्स, पुलिस आदि) की लोकेशन की जानकारी प्राप्त कर ट्रक मालिकों एवं चालकों को उपलब्ध करायी जाती है, जिससे उन्हें सुरक्षित मार्ग बताकर ओवरलोड वाहनों को पास कराया जाता हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल शासन को भारी राजस्व की क्षति हो रही है, बल्कि सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारियों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा रहता है। दोनों व्यक्तियों प्रेम नारायण व प्रमोद कुमार द्वारा अवैध/ओवरलोड गाड़ियों को पार कराने का दबाव बनाते हुए बसहरी तिराहे पर वाद विवाद किया गया था। जिसमें सम्बन्ध में थाना मटौंध पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में थाना मटौंध पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा पुलिस द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों पर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, जो भी अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त होंगे या जो भी व्यक्ति वैध खनन एवं परिवहन में व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बरामदगी-

- 79 हजार रुपए नकद
- 02 मोबाइल फोन (लोकेशनबाजी में प्रयुक्त)
- 01 मोटरसाइकिल (लोकेशनबाजी में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रेम नारायण पुत्र बाबूलाल निवासी बसहरी थाना मटौंध जनपद बांदा।
2. प्रमोद कुमार पुत्र कालीचरन निवासी बसहरी थाना मटौंध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 110/26 धारा 221/351(3)/3(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधि0 व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह प्र0नि0 थाना मटौंध
2. उ0नि0 श्री विकास नेहरा
3. रि0कां0 अभिषेक यादव